"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013— पौष 3, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ - 43/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1424. — छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद आम निर्वाचन, दिसम्बर, 2009 में नगर पंचायत बलरामपुर, अविभाजित जिला-सरगुजा (छ. ग.) के 03 अभ्यर्थियों को निरर्हित घोषित किया है, कि सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ - 43/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. कुन्नी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत बलरामपुर अविभाजित जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. कृपा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत बलरामपुर अविभाजित जिला सरगुजा (छ.ग.)
3. रामेश्वर अगरिया, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत बलरामपुर अविभाजित जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 12 दिसम्बर 2013.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित जिला सरगुजा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32- ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपंचायत बलरामपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों कुन्नी, कृपा एवं रामेश्वर अगरिया द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी कुन्नी, कृपा एवं रामेश्वर अगरिया से दिनांक 25 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिनों में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उपरोक्त अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण पुन: दिनांक 29 मार्च 2011 को कारण बताओ सूचना जारी की गई जो अभ्यर्थियों कुन्नी एवं रामेश्वर अगरिया को दिनांक 13 मई 2011 को तथा अभ्यर्थी कृपा को दिनांक 29 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कुन्नी एवं रामेश्वर अगरिया को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी कृपा द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 13 मई 2011को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा संधारित किया गया है. परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार बलरामपुर के पास दाखिल करना चाहा किन्तु उन्होंने ब्लाक में जमा करने के लिए कहा, ब्लाक के लिपिक ने लेने से इन्कार कर दिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के लिपिक ने भी लेने से इन्कार कर दिया जिसके कारण वे निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं कर पाये. उन्हें यह मौखिक रूप से कहा गया एवं पावती भी नहीं दी गई . वे निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के लिए अभी भी तैयार हैं . अतएव निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार करते हुए इस सबंध में निर्वाचन में भाग लेने से उन्हें निरर्हित नहीं किया जावे. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया . निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 134, दिनांक 3 सितम्बर 2013 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी कृपा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्वचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिवस के अन्दर विहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था जो अभ्यर्थी कृपा द्वारा नहीं किया गया . अतएव निर्वाचन व्यय लेखा समय-सीमा में विहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उन्हें निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की गई है. उन्हें अपने पक्ष समर्थन हेतु प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया किन्तु वे सम्यक् रूप से सूचना तामील होने के उपरान्त भी निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर 2013 को अनुपस्थित रहे . अत: उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी कृपा द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बंधित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया . निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी कुन्नी, रामेश्वर अगरिया एवं कृपा ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है . यह अधिनियम की धारा 32-क (1), धारा 32-ख एवं निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7(4) की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है . अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है:

" **धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**-प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है . अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

> " **धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**-अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास , दाखिल किया जाना अनिवार्य है . निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोदिष्ट किया गया है. उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी कृपा द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत बलरामपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों कुन्नी, कृपा एवं रामेश्वर अगरिया द्वारा नियत समयावधि के भीतर विधि के अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है . यह अधिनियम की धारा -32 क(1) का उल्लंघन है . अभ्यर्थी कृपा ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि वे निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहते थे किन्तु इस हेतु तहसीलदार, ब्लाक एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं लिया गया . अतएव वे निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं कर पाये . तथापि अपने जवाब के सन्दर्भ में उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है न कि तहसीलदार अथवा विकास खण्ड कार्यालय . तहसीलदार एवं विकासखण्ड कार्यालय को उक्त व्यय लेखा स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है. इस हेतु वे चाहते तो निर्वाचन अधिकारी से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर सकते थे . अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण कुन्नी, कृपा एवं रामेश्वर अगरिया प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं . अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है . तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थीगण कुन्नी, कृपा एवं रामेश्वर अगरिया को निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा 32-ग(ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है . अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए .

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 12 दिसम्बर 2013 को जारी किया गया .

हस्ता./-
(पी.सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.